सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी –सुश्री मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 64/2023 दर्ज तिथिः– 10.08.2023

अतरसिंह पुत्र किरोडी लाल जाति कोली निवासी सूरोड तहसील सूरोठ जिला करौली।

– वादी

बनाम

1.राधेश्याम पुत्र भूदर } जाति बैरवा निवासी रसीदपुर
2.मापचन्द पुत्र भूदर } तहसील महवा
3.भूपेन्द्र कुमार महावर पुत्र फूलचंद जाति कोली निवासी प्लानहेडा तहसील महवा
4.राज.सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,महवा जिला दौसा।
5.हेमराज नागर पुत्र सुरेशचंद नागर जाति खटीक तहसील महवा जिला दौसा।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री ओमप्रकाश कुण्डारा
प्रतिवादी अधिवक्ताः–श्री राजूलाल मुराडिया
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णय प्रारम्भिक डिक्रीः–

निर्णय तिथिः– 18.10.2024

आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात 872 रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.57 हैक्टर वाके ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा (राज0) में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 भाग, प्रतिवादी सं. 01 का 49/342 भाग, प्रतिवादी सं. 2 का 49/684 भाग व प्रतिवादी सं. 3 का 61/114 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं और इसी अनुसार आज तक सामूहिक रूप से काबिज हर कर काश्त करते चले आ रहे हैं। वांका दिनांक 01.07.2023 का है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने विवादग्रस्त भूमि पर पत्थर बजरी डाल रखे है और कहा कि इस भूमि पर खेती नहीं करुँगा एवं दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दूँगा। वादी ने प्रतिवादीगण को खूब समझाया लेकिन प्रतिवादीगण अपनी हठधर्मिता पर अडिग है। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त नापाक ऐलानिया धमकी में कामयाब हो गये तो वादी अपने हक हकूकों से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त भूमि में पुख्ता निर्माण कर रहन विक्रय की धमकी देने पर वमुकाम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा में पैदा हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स किया जाकर वादी का 1/4 हिस्सा पृथक किया जावे और वादी का एकान्तिक आधिपत्य कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि पर बादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 5 की ओर से श्री राजूलाल मुराडिया द्वारा वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव पेश नहीं किया है। अप्रार्थी सं. 5 द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर वादपत्र में नाम जोडने के आदेश दिये गये । अप्रार्थी सं. 5 द्वारा जबाव दावा पेश किया। नकल दिलाई गई। इसके पश्चात् वकील उभय पक्ष द्वारा अपनी वहस के दौरान आराजी का मीट्स एण्ड वाउणस बंटवारा किये जाने की सहमति पत्रावली पर अंकित की गई। संयुक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज हैं तथा मौके पर कब्जानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा एवं मौके के अनुसार तकास्मा किया जा सकता है एवं वाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2074–2077 वाके ग्राम रसीदपुर तहसील महवा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण संयुक्त आराजी खसरा नंबर 872 रकबा 0.57 हैक्टर ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा (राज0) के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वकील वादी द्वारा वादपत्र प्रारम्भिक रूप से डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया है अतः वकील वादी की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकास्मा किया जाना आवश्यक है परंतु विधिक तकास्मा किये जाने से पूर्व दावा वादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात–रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस तहसीलदार महवा से तलब किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश है कि:–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है एवं संयुक्त आराजी खसरा नंबर 872 रकबा 0.57 हैक्टर ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा (राज0) में वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण का मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज हिस्सानुसार आराजी का विभाजन विधिक प्रावधान के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी (बाई मीट एण्ड बाउण्डस् के तहत सम्भवतः कब्जे एवं स्वामित्व को देखते हुए) आराजी का सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम करते हुए खाता एवं लगाान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश तहसीलदार महवा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात–रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Manish
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार महवा को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह प्रारम्भिक डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 18.10.2024 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा कुमारी मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
महवा दौसा